परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश ग्राम स्टेस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)यमन)

योजना, 2019

विषय- ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन है जिसमें गृहस्वामी िसमें गृहस्वामी

स्वयं निवास करता हो वास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत ीकृत

सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा नि र्मित किया गया हो या गया हो तथा ा

ऐसे आवास में न्यूयूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतुयटक आवास हेतु

संधारित एवं उपलब्ध हो एवं खान हो एवं खान-पान सुविधा उपलब्ध हो हो, गृह स्वावामी से भिन्न पर्यटन यटन

हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत ीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा न

िर्मि

त ग्राम स्टेटे

में संबंधितों द्वारा न ियमित व्यवस्थाापक रखा जाना जरूरी होगा। रूरी होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नामनाम, विस्तार तथा लागू करना :-

1.1 यह योजनाना मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थाापना (पंजीयन तथा नियमन)यमन) योजनाना, 2019

कहलायेगी।ायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तातार सम्पूपूर्ण ग्रामीण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।ागू होगी।

1.4 इस योजना का उद् देश्य –

(अ) देशी-विदेशी देशी पर्यटकों यटकों को ग्रामी ण परिवेश में वेश में आवास, भोजन सुविधा ा एवं ग्राम्य

जीवन अनुभव ीवन अनुभव प्रदाय करना,

(ब) देशी/विदेशीदेशी पर्यटकों को यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृकृति, खान पान एवं आतिथ्य

से परिचित करानात कराना,

(स) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाऐं विकसित करनात करना,

(द) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों यों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्तत क्षमता

को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु

प्रोत्सासाहित त

करना एवं

(इ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृ त सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता

समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर् माण हेतु प्रोत्सासाहित

करना है।त करना है।

1.5 इस योजना हेतु संपत्तिधारक से

आशय आवासीय भवन के स्वावामी अथवा वा पर्यटन यटन

हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूहसे है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किये गये होंये गये हों, से है।

2. पंजीयन :-

2.1 सम्पत्तिधारक ारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकीिनकी न्यूयूनतम संख्याया 01 तथा ा अधिकतम संख्याया 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक/यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 ग्राम स्टेटे इकाई का पंजीयन ीयन हेतु शुल्क रू. 1000/- एवं जीएसटी होगाीएसटी होगाI

2.3 इकाइयों का पंजीयन ीयन **परिशिष्ट 'एक'** में निर्धारित त मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर ार पर किया जायेगाायेगा।

2.4 पंजीयनीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा रहेगाI

2.5 तीन वर् ष पश्चाचात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के स ाथ रू. 1000/- + जी.एस.टी.ी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षो की पर्यटक पंजी की के साथ आवेदन आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगाा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पं कराने के इच्छुछुक संपत्तिधारक कोारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित त **प्रारूप 'अ'** में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुतुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान ीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/**RTGS/NEFT** अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबं
ध संचालकक, मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बना ये जाये। ाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट (परिशिष्ट-1) अनुसार जानक ारी संलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्ग त पंजीकृत होने के लिये ीकृत होने के लिये 'ग्राम स्टेटे' को न िम्न शर्तो की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात् –

(क)यह कि 'ग्राम स्टेटे' विशुद्धत: आवासीय त: आवासीय भवन हो I भवन स्वावामी भौतिक रूप क रूप से उसमें सतत निवासरतवासरत हो एवं किचन का चन का संचालन न किया जाता ाता हो/संप
त्तिधारक द्वाराारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन की उपयुक्त व्यवस्थाा की गई हो ।

(ख)यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवासीय भवनारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराये पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्याया कम से कम 01 तथा ा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

(ग)यह कि 'ग्राम स्टेटे' में स्नानानागार, शौचालयय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर नीचर आदि सुविधाऍ ाऍ उपलब्ध होगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिये ाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीटीलेटर हो।ेटर हो। प्रत्येयेक कक्ष का बाथरूम सह ित क्षेत्रफल कम कम से कम 100 वर्गफीट होगा। फीट होगा।

(घ)यह कि परिसर अच्छीछी अवस्थाा में हो। परिसर में साफसर में साफ-सफाई की नियमितत व्यवस्थाा हो। अग्नि सुरक्षा सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का प र्याप्त प्रबंध हो होI

(ङ)अन्य कोई शर्तें जो रो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा निर्धा रित की जावें।ावें।

2.8 उप कंडिका (2का (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालकक, पंजीयनीयन के निमित्त निरीरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में त समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्ट ि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदकार का अवसर आवेदक को दियाया जायेगा। ायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के ारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर ार न कर पाने पर आवेदन अमान्य किया जायेगा।ायेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता, नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस मेंवस में ऐसी जां च अथवावा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चाचात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के ता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक ारक

द्वारा उपलब्ध करायी जा करेगा।

रही भोजनन आदि सुविधा एवं ा एवं सेवाओं पर भी विचार चार

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबं ध संचालकक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस मेंवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित त **प्रारूप 'ब'** में प्रमाण प त्र जारी करेगाारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले े

निरस्त न कर दिया जाये । ाये । ग्राम स्टेटे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण , विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा। ा सकेगा।

2.12 ग्राम स्टेटे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदनया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवसवस के भीतर पूर्ण

की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराय ा जावेगा ।ावेगा ।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थाापित त ग्राम स्टेटे की एक डायरेक्ट्रीरी विहित त **प्रारूप 'स'** में बोर्ड में में संधारित त की जायेगीायेगी ।

3. **योजना अंतर्गत प्राप्तप्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षणण :-**

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथव ा योजना प्रभारी अधिकारीना प्रभारी अधिकारी तथा ा एक

नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का प

कार्य किया जायेगाायेगा। अशासकीय सदस्योंयों को मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी ी अधिकारियों हेतु नि र्धारित त यात्रा/आवास/भोजन भत्तेते की पात्रता तथा रूपये एक हजार ार प्रत िदिवस के मान से वस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. **इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'ग्राम स्टेस्टे' निर्हर होगीगी-**

4.1 यदि सम्पत्तिधारक ारक पर किसी आपराधिसी आपराधिक मामले में े में चालान प्रस्तुतुत किया गया होया गया हो

अथवा वा दंडित होकर जेल में में निरूद्ध रहा हो रहा हो, या

4.2 यदि ग्राम स्टेटे का नाम इस योदिया गया हो।या गया हो।

जना की कंडिकाका-9 के अधीन डायरेक्ट्रीरी से हटा

5. **सम्पत्तिधारकक/व्यवस्थास्थापक का दायित्व होगा कि वहः-**

5.1 पर्यटक/अयटक/अतिथिियों को निर्धारित सुवि धा युक्त आवास एवं भोजन उपलब्ध करायेगा।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थाान व उनके विव रण की विहितत **प्रारूप 'द'** में एक
पंजी संधारित त करना होगा, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येयेक कैलेण्डडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगीावेगी एवं उसे दो वर्ष तक तक सुरक्षित रखा त रखा जाना होगााना होगा।

5.3 ग्राम स्टेटे में रूकने वाले े विदेशी देशी अतिथिियों का वि वरण स्थाानीय पुलिस को 24 घण्टेटे में प्रेषित करना होगा । त करना होगा ।

5.4 ग्राम स्टेटे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सर पंच को प्रेषित त
करना होगा।

5.5 ग्राम स्टेटे के समुचित संधारण , उत्तम साफ–सफाई, सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शा मिल है है, का प्रबंध करना होगा करना होगा ।

5.6 'ग्राम स्टेटे' के पंजीयन प्रमाण पत्र
पत्र, कमरों का किरायाराया, खाद्यपदार्थों की ों की दरों के
साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूचीयों के नाम की सूची सहज
दिखाई देने वाले स्थाान पर प्रद र्शित करना होगात करना होगा।

5.7 खाद्य पदा र्थ स्वच्छ, ताजाा एवं पौष्टिक क तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को आवास तथा खाना खान-पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी ानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथि समस्याया निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का त अधिकारी का
नाम, पद, पता, दूरभाष क्रम ांक की जानकारी संप त्तिधारक द्वाराारक द्वारा, चाहे जाने पर ाने पर
अतिथि को उपलब्ध करायी जायेगीायेगी।

6. **सम्पतिधारक :-**

6.1 सम्पूपूर्ण ग्राम स्टेटे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित त रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक ारक अतिथियों ियों की आवास एवं खान-पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन यटन अनुभव संबंधित गतिविधियाँ जैसे बैलगाड़ी की सवारीी की सवारी, पशुपालनन, स्थाानीय
पेड़-पौधों का परिचयचय, वानिकीकी, कृषि कार्यय, कृषि उपकरणों का निर्माण , माटीकलाा,
स्थाानीय उपज से तैयार वस्तुतु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रा मीण परिवेशवेश से संबंधित
नृत्य, संगीत, खान-पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगाI

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा नहीं देगा, जो ो

स्थाानीय ग्रामीणों में अ संतोष उत्पन्न करे अथवा जिससे अतिथियों को असुविधा ा

हो।

6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा। करेगा।

6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं ि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व त व निरापद रापद आवास सुनिश्चितत करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा ारक द्वारा आय-व्यय का संपूर् ण ब्यौयौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे मांगे

जाने पर मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुन िश्चित करेगा।त करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ताता एवं सुरक्षा व्यवस्थाा को सुनिश्चित करने हेतु न िर्धारित त

प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड द्वारा द्वारा छ:माही

आधार पर उक्त व्यवस्थाा/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगाायेगा।

6.8 सम्पत्तिधारक/ ारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस

करवाकर प्रतिवेदन वेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्र करणों की जानकारी ानकारी

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त व्यक्ति/यों में /यों में

परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना ाना

आवश्यक होगा।

7. **अतिथि के दायित्व:-**

7.1 अतिथि ि स्वयं के संबंध में सही में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी मे ी मे उसकी प्रव करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण त तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसीसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो ो स्थाानीय ग्राम वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।

7.3 परिसर को साफ एवं स्ववच्छ रखने में वह ग्राम स्टेटे स्वावामी को पूर्ण सहयोग करेगा सहयोग करेगा,

समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का यमों का

पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा। नहीं पहुंचायेगा।

7.4 आगन्तुतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा ावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ ग्राम स्टेटे में रूकने की अनुमति नहीं देगा। नहीं देगा।

7.5 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टेटे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा। त करेगा।

8. **अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण**

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक ार पर फीडबैक
देने हेतु सम्प त्तिधारक द्वारा फीडबैक/ारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।ायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फी डबैक रजिस्टर में फीडबैक/िस्टर में फीडबैक/
सुझाव देने हेतु अनुरो ध किया जाये।ाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छा याप्रति आवेदन के आवेदन के
साथ संलग्न की जाये।ाये।

8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये गाये जाने ाने
हेतु प्रक्रिया निर्ध ारित की जायेगी।ायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्प त्तिधारक ारक
को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।ायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार ार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा ारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या के अनुसार
संपादित की जायेगी।ायेगी।

8.7 जब कोई ब कोई ग्राम स्टेटे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य ानकारी देता है या खाद्य
पदार्थ या अन्य सुविधाऐ जैस ा कि वह वचन देता है वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ
रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तातावेज या सामग्री या सामग्री
जिन पर वह विश्ववावास करता है, के साथ प्रबंध संचालकक, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को प्रस्तुतुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ईकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत कायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थााई पता, दूरभाष/मोबाइल
क्रमांक, ई-मेल आई.डी आई.डी. होना चाहिये। ये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर क्रमांक पर
शिकायतें कायतें पंजीकृतीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा द्वारा
पंजी का संधारण किया जायेगाायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगीानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ा ग्राम स्टेटे सम्पतिधारक को सुनवाई ारक को सुनवाई

का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चाचात शिकायत को या तो निरस्तत करेगा अथवा वा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में कायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टेटे का पंजीयन ीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्रीरी से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से सं तुष्ट न होने की स्

शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्ण

थिति में मंत्री में मंत्री, पर्यटनयटन, मध्यप्रदेश य अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीस्तीकरण एवं डायरेक्ट्रीरी से नाम हटाया जानाजाना :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये ये ग्राम स्टेटे का नाम डायरेक्ट्रीरी से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण–पत्र न िम्न आधारों ारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात–

(क) यदि ग्राम स्टेटे संपत्तिधारकारक परिवर्तित त हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक ग्राम ारक ग्राम

स्टेटे संचालन हेतु अनिच्छुछुक हो ।

(ख) यदि ग्राम स्टेटे सम्पत्तिधारक ारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में े में चालान पेश ान पेश

हुआ हो अथवा वा दंडित किया गया हो या गया हो अथवा वा वह जेल में रहा हो में रहा हो,

(ग) यदि ग्राम स्टेटे सम्पत्ति धारक ने योजना केना के प्रावधानों का उल्लंंघन किया होया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण । ।

9.2 उप कंडिका (1) में की गयीका (1) में की गयी कार्रवाईवाई से प्रचलित विधि केधि के अंतर्गत सम्पतिधारक ारक

को अभ ियोजित करने की ित करने की कार्रवाईवाई अथवा उसके सिविल दायित्वोंवों पर कोई प्रभाव

नहीं पड़ेगा ।

9.3 ग्राम स्टेटे का नाम डायरेक्ट्रीरी से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक क ग्राम स्टेटे सम्पतिधारक ारक

को उन कारणोंोंं को बतलाते हुए ाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना बताओ सूचना पत्र

जारी करेगा जिसके आधार पर ार पर ग्राम स्टेटे का नाम डायरेक्ट्रीरी से हटाया जाना ाना प्रस्ताताविते हो ।त हो । ग्राम स्टेटे सम्पत्ति धारक कोरक को पक्ष प्रस्तुतुति का का अवसर देने के पश्चाचात

प्रबंध संचालकक, मामले मेंे में नीति अनुरूप अनुरूप निर्णय लेंगे ेंगे ।

9.4 जिस िस ग्राम स्टेटे का पंजीयन निरस्तत किया गया होया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद ार के बाद पुन:

पंजीयन केीयन के लिए आवेदन प्रस्तुतुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिकाका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुन: परीक्षण कर यथोचित निर्ण य प्रबं ध संचालकक द्वारा लिया जा सकेगा ।ा सकेगा ।

10. **देयताएं :-**

10.1 ग्राम स्टेटे सम्पतिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से ि कर का आवासीय दर से संबंधित

स्थाानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।काय को भुगतान करेगा ।

10.2 ग्राम स्टेटे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स ए वं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू ागू

होगा।

10.3 ग्राम स्टेटे सम्पत्तिधारक को ारक को विद्‌युत प्रभार म.प्र. विद्‌युत मंडल द्वारा संबंधित द्वारा संबंधित

प्रयोजन के न के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना यमानुसार भुगतान करना

होगा।

11. **निरीक् षण की शक्ति याँ ाँ :-**

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत क या उनके द्वारा अधिकृत किसीसी व्यक्ति द्वारा य था आवश्यकता

पंजीकृतीकृत ग्राम स्टेटे का निरीक्षण किया जा सकेगा ा सकेगा ।

12. **प्रचार-प्रसार::-**

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ीकृत ग्राम स्टेटे का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट त था अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ीकृत ग्राम स्टेटे की डायरेक्ट्रीरी समय-समय पर (आनलाईन एवं ाईन एवं

ऑफलाईन)ाईन) प्रकाशित की जायेगी । ायेगी ।

13. **प्रोत्साहन:न:-**

13.1 ग्राम स्टेटे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉटॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूर िज्म अवार्ड्स अंतर्गत त प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टेटे को अवार्ड दिया जायेगा।ायेगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में में ग्राम स्टेटे संपत्तिधारक ारक नि:शुल्क भाग ले सकेगा। े सकेगा।

13.4 संपत्तिधारारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम शत अधिकतम

राशि रूपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्म ाण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 का 100 प्रतिशत या शत या

अधिकतम राशि रूपये 10 रूपये 10,000/- अनुदान दिया या जाएगा।ाएगा।

13.6 राष्ट्रीरीय/अंतर्राष्ट्रीरीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर ेने पर

एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी द्वारा एसी-II श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु हेतु

इकनॉमी क्लाास का) एवं स्टॉटॉल शुल्क की 50 प्र तिशत राशि अधिकतम रूपये अधिकतम रूपये
50,000/- का अनुदान दिया जाएगा। ाएगा।

13.7 ग्राम स्टेटे को प्रोत्सासाहन अनुदान दिया जायेगा :ायेगा :-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूयूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर वस होने पर
रूपये 15,000/- अनुदान
(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत उपरांत न्यूयूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर वस होने पर
रूपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उ परांत न्यूयूनतम 100 पर्यटक/अतिथ ि आवास दिवस होने पर वस होने पर
रूपये 25,000/- अनुदान

न्यूयूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवी तो किया जा सकेग ा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।ंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेेम हेतु आवेदन प्रपत्र -1 में क िया जायेगा।ायेगा। आवेदन निराकरण
प्रक्रिया या प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशि क्षण ::-

संभावित त ग्राम स्टेटे धारकों/ारकों/पंजीकृत ीकृत ग्राम स्टेटे धारकों को ारकों को सामान्य संचालन संबंधी ी प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थााओं से प्राप्त करने की सुविधा ा यथाा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगीायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप ारकों की मांग के अनुरूप
हाउसकीपिंगंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलताता, सुरक्षा प्रावध ान जैसे आवश्यक प्रश ोंं
का आयोजन मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।ायेगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्रेत्र/ पंजीकृत स्व-सहायता समूह//पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका ::-

15.1प्रदेश में ग्राम स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत ीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियोंयों एवं अलाभकारी ाभकारी संस्थााओं/ सहकारी स मितियोंयोंआदि
को प्रोत्सासाहित किया जायेगा।ायेगा।

15.2 ऐसी संस्थाायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टेटे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थााओं को विभा ग/ मध्यप्रदेश
टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।ायेगी।

16. योजना को लागू करना ::-

इस योजना को लागू करनेागू करने, निर्देश जारी करने ारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध
संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे। अधिकृत होंगे।

17.योजना की व्याव्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :-

इस योजना की व्यायाख्याया/स्पष्टीटीकरण/संशोधन हे तु मध्ययप्रदेश शासन प र्यटन विभाग भाग
अधिकृत होगा।

प्रारूप-अ

मध्यप्रदेश ग्राम स्टेस्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियम न) योजनायोजना, 2019

के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्रपत्र

(कंडिका 2.6)

1 ग्राम स्टेटे इकाई का नाम
2 सम्पत्तिधारक का नामारक का नाम
3 ग्राम स्टेटे इकाई का पता
(क) ईमेल आई.डी. (यदि हो) हो)
(ख) मोबाईल नम्बर
(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक (यदि हो) हो)
(घ) डाक का पूरा पता
(घ) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी ीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्वव-सहायता समूह की दशा में पंजीयन क्रमांकीयन क्रमांक, दिनांक नांक
(ङ) पर्यटन हेतु गठितयटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी ीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व-सहायता समूह की दशा में पंजीकरण जारी करने वाली संस्थाा का नाम
(च) नजदीकी बस स्टेटेण्ड (दूरी कि.मी.) .मी.)
(छ) नजदीकी रेलवे स्टेटेशन (दूरी कि.मी.).मी.)

4 इकाई का व
(क) आवास के स्वामित्व अभिलेख का विवरण (निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ)ँ)
(ख) भू-खण्ड का क्षेत्रफ ल (वर्गमीटर)मीटर)
(ग) निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)मीटर)
(घ) आवास में कुल कक्ष ों की संख्याया
(ङ) अतिथि/पर्यटक आवास हेतु उपलब्ध कराये जा ा रहे कक्षों की संख्याया
(i) एक शैया वाले कक् षों की संख्याया व उनका आकार
(ii) दो शैया वाले कक् षों की संख्याया व उनका आकार
(iii)स्नानानागार तथा शौचालय की संख्याया व उनका आकार
(च) आवास में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का ब्यौयौरा

5 खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा ायेगा
(शाकाहारी/मांसाहारी/दोनों प्रकार का)

: .... : .... :
.... :
.... : .... :
.... : ....
.... : ....

: ....
: .... : ....
: ....
: .... : .... :
.... : ....
: ....
: ....
: ....
: .... : ....

6 कमरे का प्रस्तातावित किराया राया
(खानापान सामग्री का अ तिरिक्त प्रभार) (क) एक शैया कक्ष
(ख) दो शैया कक्ष

7
पंजीयन फीस का विवरण (क) डिमांड ड्राफ्ट/चैक क्रमांक मांड ड्राफ्ट/चैक क्रमांक
(ख) दिनांक नांक
(ग) बैंक का नाम

8 इकाई के निकट में स्थित पर्यटन स्थ ल (20 कि.मी. की परिधि में) धि में) 9 इकाई परिसर में उपलब्ध कराई जा रही ा रही पर्यटन/साहसिक/मनोरं जन गतिविधियॉ धियॉ 10 संलग्नन आवश्यक दस्तातावेज का विवरण

(i) संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
(ii) इकाई में निवासरत परिवा
(iii) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी ीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित पर्यटक आवास ग्राम स्टेटे के व्यवस्थापक का पूर्ण ब्यौयौरा
(iv) इकाई में उपलब्ध सुविधा की सूची ा की सूची
(v) आवास के स्वावामित्व संबंधी दस्तातावेज की प्रति
(vi) संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति (vii) पैन कार्ड की
(viii) मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शाशा
(ix) आवास के फोटोग्राफ्स

: .... : ....
: .... : .... :
.... : ....
: .... : .... :
....
: .... : .... :
.... : .... :
....

: ....

उपर्युक्तत जानकारी तथा प्रस्तुतुत दस्तातावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्यय व सही है ।

हस्तास्ताक्षर

संपत्तिधारक का नाम

....

स्व-घोषणा-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री .... पिताता/ पति का नाम श्री ...... का नाम श्री ....

....आयु .... निवासी .....वासी ....

....

.... घो षणा करता/ करती हूॅ कि::-

1मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग भाग की ग्राम स्टेटे स्थाापना (पंजीयन ीयन तथा ा नियमन) योजना ना 2019 के अन्तर्गत अपने भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है ।या है ।

2मेरे तथा मेरे परिवार के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा ा किसी आपराधिक मामले में मैं दंडित नहीं हुआ हूँ ।ँ ।

3मैंने उपरोक्त योजना का भलीी-भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं शर्तों का पूर्णत: पालन न करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा । ँगा ।

हस्तास्ताक्षर

घोषणाकर्ता क ा नाम

....

प्रारूप –'ब'

मध्यप्रदेश टूरिज्मटूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्राम स्टेस्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियम न) योजनायोजना, 2019

पंजीयन प्रमाण पत्र पत्र

(कंडिका क्र. 2.11का क्र. 2.11)

पंजीयन क्रमांक ीयन क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवास का नाम .... आवास का नाम .... पता

.... जिसके

स्वावामी/संपत्तिधारकारक श्री /

श्रीमती / सुश्री .... है । मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन यटन

विभाग की मध्यप्रदेश ग्राम स्टेटे स्थाापना (पंजीयन तथा निय मन) योजना 201ना 2019 अंतर्गत त

संधारित पंजी के क्रमांक .... पर पंजीकृत है । ीकृत है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक .... तक वैध है । है ।

प्रबंध संचालकसंचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्मटूरिज्म बोर्ड,
भोपाल

प्रारूप 'स'

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन)योजनायमन)योजना, 2019

स्थापना की डायरेक्ट्रीरी का प्रपत्रप्रपत्र

(कंडिका का – 2.13)

स.कं.	विवरणण		जानकारीी
1	पंजीयन क्रमांकक्रमांक		
2	पंजीयन तिथि		
3	गृह स्वाामी/संपत्तिधा रक का नामनाम		
4	डाक का पूरा पता		
5	ई-मेल		
6	मोबाईल नम्बनम्बर		
7	लेंडलाईन नम्बनम्बर		
8	कमरों कीकी संख्या एवं किरायााया	एकल शैय्याैय्या	
		दो शैय्याैय्या	
9	सपततिफटवय का फ		
10	पंजीयन की वैधता अवधि		

प्रारूप-'द'

मध्यप्रदेश टूरिज्मटूरिज्म बोर्ड, भोपाल

अतिथियों के आगमन / प्रस्थाप्रस्थान की पंजी जो भवनन स्वाामी द्वाराा/संपत्तिधारकक संधारित की जावेगी ।

(कंडिका क्र. 5.5.2)

ग्राम स्टेस्टे इकाई का नामनाम..................................

इकाई का पतापता.................................

स.क.	अतिथि का नामनाम	उम	सथायीपता	दूरभाष क्रमांक एवं	राष्ट्रीरीयता	पासपोर्ट क्रमांक अथवा अन्य पहचान पत्र का	दिनाक तथा समय		अतिथि कहां से आया	अतिथि कहां के लिए प्रस्थान कियाया	अतिथि के हस्तास्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट :- यदि अतिथि के साथ अन्य व्यक्ति या परिवार है तो उनके ब्यौयौरे और अतिथि से संबंध का ब्यौयौरा अतिथि के साथ ही पंजी में दर्ज किया जाये । ाये ।

परिशिष्ट -1

मध्यप्रदेश टूरिज्मटूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन)यमन) योजना, 2019 के अंतर्गत ग्राम स्टेस्टे इकाई के स्थास्थापना की स्वीीकृति व पंजीयन की चेक लिस्टस्ट

•इकाई का नाम एवं डाक का पूरा पता...

....

•सम्पत्तिधारक का नामारक का नाम..•मोबाईल क्रमांक क्रमांक...•ई-मेल आईडी (यदि हो) ... हो) ....

•पंजीयन हेतु ीयन हेतु पात्रता परीक्ष ण चेक लिस्ट :-

स. क्र.	सुविधायें	सुविधा आवश्यश्य क/	ग्राम स्टेस्टे सम्पसम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्धउपलब्ध करायी	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
1	अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर राए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष(2बेड) या अधिकतम 6 कक्ष (12 बेड) की उपलब्धता। ता। (सभी कक्ष स्वच्छ, कीट/नमी रहित, त, हवादार हो।)	आवश्यक		

2	सुव्यवस्थित संध ारित मकान । त मकान	आवश्यक		
3	कक्षों में आरामदायक बेड की उपलब्धता ता ।	आवश्यक		
4	योग्य संख्याया में प्रसाधन की न की उपलब्धता।(कक्षों के तारतम्य में)	आवश्यक		
5	गर्म और ठंडे पानी की यथा मांग ा मांग उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित त निकासी की व्यवस्था ।ा ।	आवश्यक		
6	धुआॅ रहित,त, आरोग्यशील, कीट रहित एवं त एवं	आवश्यक		
7	भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की ान की	वांछनीय		
स. क्र.	**सुविधायें**	**सुविधा आवश्यश्य क/**	**ग्राम स्टेस्टे सम्पसम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्धउपलब्ध करायी**	**निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप**
1	2	3	4	5
8	कक्षों में सीलिंग पंखों की उप लब्धता	आवश्यक		
9	कपड़े रखने हेतु एक आलमारी (वार्डरोब) रोब) की उपलब्धता ।ता ।	वांछनीय		
10	पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था । ा ।	आवश्यक		
11	11 मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की की उपलब्धता/ता/व्यवस्था ।	वांछनीय		
12	स्थानीय निकायों के नियमानुसार कचरा यमानुसार कचरा निपटान व्यवस्था ।ा ।	वांछनीय		
13	13 अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था ा तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते के नाम, पते	वांछनीय		
14	14 अतिथिि-पंजी की ी की	आवश्यक		

आवेदक के हस्तास्ताक्षर

•निरीक् षणकर्ता अधिकारी का अभिमत ::-

आज दिनांक .... को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक नांक .... के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण किया गया । आवेदक या गया । आवेदक इकाई मध्यप्रदेश ग्राम स्टेटे स्थापना (पंजीयन तथा निय मन) योजनाना, 2019 की कंडिका (2) के का (2) के अनुसार .... पं जीयन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त पाई गई । अत: ग्राम स्टेटे योजना अंतर्गत .... इकाई को पंजीयन ीयन करने/पंजीयन नहीं करने की अनुशंसा ीयन नहीं करने की अनुशंसा की जातीाती है ।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अधिकारी
का
नाम
....
पदनाम
....
(मध्यप्रदेश
टूरिज्म बोर्ड))
हस्ताताक्षर एवं
पदमुद्रा

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तअन्तर्गत देय प्रोत्साप्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया

मध्यप्रदेश ग्राम स्टेटे स्थाापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत दिये ये

जाने वाले प्रोत्सासाहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्सासाहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानानुसार प्रक्रिया निर् धारित की जाती है :ाती है :-

1. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड को प्रस्तुतुत आवेदन **(निर्धारित प्रारूप प्रपत्रप्रपत्र-1)**

ऑन-लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीवीकार क िये जावेंगे । ावेंगे ।

2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्र ारूप में सहायक संचालक/प्रबंधक ग्राम क ग्राम

स्टेटे योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2किये जायेंगे। ायेंगे। **(प्रारूप-प्रपत्र-2)**

दिवस में वस में प्रभारी संयुक्त संचालक को प्रस्तुतुत

3. प्रभारी संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण व व पात्रता का परीक्षण 2 द

में त्रुटियों/कमियों को इंगित करत कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा

होने पर तदानुसार उल्ले ेख कर प्रकरण

प्रभारी संचालक के समक्ष प्रस्तुतुत किया जायेगा। ायेगा।

4. संचालक द्वारा संयुक्तत संचालक से प्राप्त आवेदन नस्तीती को 2 दिवस में पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्रवाई हेतु अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा। अपर प्रबं ध संचालक /प्रबं ध संचालक क द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :ायेंगे :-

अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे । ायेंगे ।

ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्तीती आदेश दिया जायेगा । ायेगा ।

स. उपरोक्त सूचना ई-मेल के माध्ययम से आवेदक इकाई को दी जायेगी। ायेगी।

द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का स मय दिया या
जायेगा । आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा ।
पूर्ण होने पर पुन: अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के होने के 3 दिवस में संयुक्तत संचालक/संचालक के माध्यम से प्रस्तुतुत किया जायेगा । ायेगा ।

इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यायापन एवं न कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुतुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे । ायेंगे ।

निरंतर.....रंतर.....

//2//

5. प्रकरण का सत्यायापन एवं निरीक् षण निम्नलिखित सदस्योंयों वाली समिति द्वारा किया या जायेगा :ायेगा :-

(i) सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी ग्राम स्टेटे योजना मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड, भोपाल।।

(ii) संयुक्त / उप संचा लक वित्त एवं लेखा मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड का प्रतिनिधि। धि। (iii) प्रबंध संचालकक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य । 6. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों ेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर क िया जायेगा। ायेगा।

7.
उपरोक्त समिति द्वारा संलग्नन प्रपत्र-3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्सासाहन की राशि के के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक /संचालक के माध्यम से अपर प्रबं ध संचालकक/प्रबंध संचालक को किया जायेगा। यह कार्रवाई 10 दिवस में पूर् ण कर ली जायेगी। ायेगी।

8.
यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालकक/प्रबंध संचालक द्वारा को ई स्पष्टीटीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित त जानकारी पुन: स्वीवीकृति हेतु संयुक्तत संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/ प्रबंध संचालक को प्रस्तुतुत की जावेगी। ावेगी।

9.
अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा में स्वीवीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया ज ायेगा। स्वीवीकृति आदेश संचालक द्वारा क द्वारा (प्रपत्र-4) में जारी किया जावेगा। ावेगा।

10. संचालक द्वारा स्वीवीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्याया-37 आयोजना
मुख्य शीर्ष 345 2 पर्यटन के यटन के अंतर्गत त योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्ववयन अथवा जो भी बजट श ीर्ष शासन द्वारा शासन द्वारा नियत किया गया होया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु टूरिज्म बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीवीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा। ायेगा।

11. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस
में प्रोत्सासाहन राशि का भुगतान का भुगतान आवेदक द्वारा व िनिर्दिष्ट खाते में ऑन-लाइन किया जायेगा। ायेगा।

12. पात्र प्रोत्सासाहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप् ति दिनांक से 45 नांक

से 45 दिवस में किया जायेगा। ायेगा।

13.

किसी भी प्रकरण में प्रबं ध संचालक द्वारा लिया गया निर्ण य अन्तिम एवं बाध् यकारी होगा।

उप सचिव
पर्यटन
विभागविभाग

प्रपत्र -1

मध्यप्रदेश ग्राम स्टेस्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तअन्तर्गत देय प्रोत्साप्रोत्साहन राशि स्वीीकृति हेतु आवेद न पत्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालकक
मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.) (म.प्र.)

विषय :-मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साप्रोत्साहन
राशि स्वीीकृति बावत्।

(1) ग्राम स्टेटे का नाम : ....

(2) पता : ....
....

(3) पंजीयन क्रमांकीयन क्रमांक : .... वै धता तिथि ....ि ....

(4) सम्पत्ति धारक का नामारक का नाम : ....

(5) ई-मेल आई.डी. आई.डी. : ....

(6) मोबाईल नम्बर : ....

(7) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृतीकृत :
....

सहकारी सम िति/ पंजीकृत ीकृत ....

स्व-सहायता समूह का नाम ....

एवं पता ....

(क) ईमेल आई.डी. आई.डी. : ....

(ख) मोबाई ल नम्बर : ....

(ग) टेलीफोन क्रमांक ीफोन क्रमांक : ....

(8) प्रोत्सासाहन अनुदान : प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष

☐

(8.1)पर्यटक/अतिथि आवास ि आवास : प्रथम वर्ष ...... अवधि ....से...........तक
दिवस की संख्या एवं वस की संख्या एवं द्वितीय वर्ष ...... अवधि ....से...........तक
अवधि तृतीय वर्ष ...... अवधि ....से...........तक
(निर्धारित प्रारूप (द) में संधारित पंजी की कॉपी संलग्नन करना अन िवार्य है।)य है।)

(9) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्सासाहन राशि प्राप्ति हेतु :-

(9.1) ट्रेवल मार्ट का नाम का नाम : ....

(9.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार का प्रकार : राष्ट्रीरीय अन्तर्राष्ट्रीरीय

(9.3) स्थाान : .... दिनांक ....नांक ....

(9.4) यात्रा का माध्यम : रेल्वेवे यात्रा विमान यात्रा मान यात्रा

(9.5) पीएनआर नंम्बर/टिकट नं. कट नं. : ....

निरंतर....रंतर....

(9.6) यात्रा दिनांक नांक : .... (9.7)

यात्रा पर व्यय राशि : ....

(रेल्वेवे टिकिट/बोर्डिंग पास संलग्न करना अन िवार्य है) य है)

(9.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थाापित स्टॉटॉल पर व्यय राशि रू . रू .... (9.9)

स्थाापित स्टॉटॉल निर्माण का देयक क्रमांक, : ....

दिनांक एवं राशि

(देयक संलग्न करना अन िवार्य है) य है)

(10)प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु रा -

(10.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार (प्रचार प्रसार : वेबसाईट ब्रोशर

सामग्री सं लग्न करना अन िवार्य है)य है)

(10.2)प्रचार–प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रू रू.

(10.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक नांक (कॉपी संलग्न करना अन िवार्य है)य है)

: .... : ....

अत: अनुरोध है कि मुझे ग्राम स्टेटे (स्थाापना तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका का 13 के अंतर्गत बैंक का नाम ....त बैंक का नाम .... खाता क्रमांक.....................................आईएफएससी कोड .... में प्रोत्सासाहन राशि स्वीवीकृत कर भुगतान करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्तास्ताक्षर

स्व-प्रमाण ित घोषणाघोषणा-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री/ पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्वव-सहायता समूह ....ग्राम स्टेटे का नाम .... स्थाान .... जिला................ पंज ीयन क्रमांक .... दिनांक .... नांक .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्तत जानकारी पूर्णत: सत्य है । इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंवंय उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी । उपरोक्त वर्ण

ित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जाा सकेगा तथा इस ा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड को पू र्ण अधिकार होगा। अधिकार होगा।

आवेदक के हस्तास्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

मोबाइल नम्बनम्बर ....

ई-मेल आई डी ....

प्रपत्र -2

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका

13 के अन्तअन्तर्गत देय प्रोत्साप्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया नोटशीट

(1)ग्राम स्टेटे का नाम : ....

(2)सम्पत्तिधारक का नाम ारक का नाम :

....

(3)डाक का पूरा पता : ....

....

(क) ईमेल आई.डी. आई.डी. : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक ीफोन क्रमांक : ....

(4) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृतीकृत सहकारी : ....

समिति/ पंजीकृत स्व-सहायता समूह का ....

नाम एवं पता ....

(क) ईमेल आई.डी. आई.डी. : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) टेलीफोन क्रमांक ीफोन क्रमांक : ....

(घ) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत ीकृत ....

स्व-सहायता समूह की दशा में पंजीयन क्रमांकीयन क्रमांक, दिनांक नांक

(ङ) पर्यटन हेतु गठित यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत ीकृत स्व-सहायता समूह की दशा में पंजीकरण जारी करने ारी करने वाली संस्थाा का नाम

(5) स्थाापित ग्राम स्टेटे का संक्ष िप्त विवरण : ....

....

....

(6) प्रोत्सासाहन अनुदान : प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष

☐

(6.1) प्रथम पंजी यन की तिथि ि : ....

(6.2)पर्यटक/अतिथि आ वास दिवस की संख्या एवं अवधि :वस की संख्या एवं अवधि :-

(क) प्र : .... अवधि ....से..................तक

(ख) द्वितीय वर्ष : .... अवधि ....से..................तक

(ग) तृतीय वर्ष : .... अवधि ....से..................तक

(7) ग्राम स्टेटे के प्रचार-प्रसार का व : ....

(7.1) वेबसाइट न: ....

निरंतर....रंतर....

//2//

(7.2) ब्रोशर डिजायनिंग/प्रिंटिंग ंग

(7.3) प्रचार-प्रसार सामग्री पर व्यय राशि(7.4) देयक क्रमांक

(7.5) देयक दिनांक नांक

(8) ट्रेवल मार्ट में सहभागिता संबंधी विवरण(8.1) ट्रेवल मार्ट का नाम का नाम

(8.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार का प्रकार

(8.3) ट्रेवल मार्ट का स्थान

: .... : .... : .... : ....

:.. :राष्ट्रीरीय अन्तर्राष्ट्रीरीय

:..

(8.4) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा का माध्यम (रेल्वेवे :..
अथवा हवाई जहाज द्वारा) द्वारा)

(8.5) ट्रेवल मार्ट यात्रा हेतु प्रयुक्त टिकिट का ट का :..
विवरण((पीएनआर नं./ बोर्डिंग पास डिंग पास
आदि))

(8.6) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा का दिनांक नांक :.. (8.7) ट्रेवल मार्ट हेतु यात्रा व्यय राशि :.. (8.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थाापित स्टॉटॉल का आकार का आकार :..

(8.9) स्थाापित स्टॉटॉल पर व्यय राशि

:..

उपरोक्तातानुसार ग्राम स्टेटे योजना अंतर्गत आवेदक श्री............................ ग्राम स्टेटे का नाम .... पंजीयन क्रमांक
.... द्वारा दिनांक नांक
.... को ग्राम स्टेटे योजना अंतर्गत प्रोत्सासाहन राशि प्राप्ति हेतु आवे दन किया है। या है।

आवेदन पत्र का परीक्षण उपरांत प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण पाया गया है। अत: अग्रिम कार्रवाई हेतु वाई हेतु

अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुतुत।

संयुक्त संचालक

प्रपत्र–3

मध्यप्रदेश ग्रामग्राम स्टे स्थास्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योज ना 2012019 की कंडिका 13 के अंतर्गत प्रोत्साप्रोत्साहन राशि हेतु प्राप्तप्राप्त आवेदनों के निराकरण कीकी प्रकिया अंतर्गत गठित समिति

का निरीक्षण व अनुशंसा प्रतिवेदनेदन ।

1) ग्राम स्टेटे का नाम :..
2) पता :..
3) पंजीयन क्रमांकीयन क्रमांक :.........................वैधता तिथी :...ी :....................
4) संपत्तिधारक का नामारक का नाम :..
5) ई-मेल आईडी आईडी :..
6) मोबाईल नंबर नंबर :..

समिति द्वारा दिनांक......नांक............................ को उक्त ग्राम स्टेटे द्वारा ट्रैवल मार्ट में में सहभाग/ प्रचार प्रसार सामग्री न िर्माण पर प्रोत्सासाहन राश ि स्वीवीकृति हेतु आवेदन पत्र का निरीक्षण

किया गया । मध्यप्रदेश ग्राम स्टेटे स्थापना (पंजीयन तथा निय मन) योजना 2019ना 2019 की कंडिका का

13 के अनुसार प्रथमम/द्वितीय/तृतीय वर्ष उपरांत / उपरांत / ट्रैवल मार्ट में सहभाग/ प्रचार प्रसार सामग्री में सहभाग/ प्रचार प्रसार सामग्री

निर्माण के के अंतर्गत प्रोत्सासाहन राशि प्र

ाप्ति हेतु पात्र है हेतु पात्र है । ग्राम स्टेटे द्वारा ....

अंतर्गत किये गये व्यय रूपये .... में से रूपये

.... बैंक का नाम .... शाखा

.... **IFSC Code**........................... में भुगतान हेतु अनुरो

ध किया गया है । या गया है ।

निरंतर.....

//2//

अथवावा

निम्नलिखित कारणों से समिति द्वारा ग्राम अनुशंसा नही की गयी है ।

1.
2.
3.

स्टेटे को प्रोत्सासाहन राशि स्वीवीकृत करने की

4.

प्रतिवेदन प्रस्तुतुत करने का दिनांकनांक ....

समिति सदस्योंसदस्यों के हस्तास्ताक्षर

नाम	नाम
पदनाम –	पदनाम –
सहायक संचालक / प्रबंधक क एवं	संयुक्त /उपसंचा लक वित्त
प्रभारी अधिकारी/ग्राम स्टेटे योजना ना	लेखा के प्रतिनिधि धि
मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड	मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड
हस्ताताक्षर एवं सील	

प्रपत्र-4

मध्यप्रदेश टूरिज्मटूरिज्म बोर्ड

छठा तल लिली रेडविंग, जहांगीराबादाबाद, भोपाल

क्रमांक ..../...../MPTB/Skill/ग्रामस्टे/प्रोत्साहन/न/20.... **भोपाल, दिनांकनांक**

प्रति,

(इकाई का नाम एवं पता)

....

....

विषय:- मध्यप्रदेश ग्रामग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)यमन) योजना 2019 अन्तर्गत

प्रोत्साहन राशि स्वीकृति सूचना पत्र ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुतुत प्रोत्सासाहन राशि आवेदन क्रमांक आवेदन क्रमांक.....................

दिनांक नांक .... के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि आपकी ग्राम आपकी ग्राम स्टेटे ....
को प्रोत्सासाहन राशि प्राप्ति हेतु पात्र माना जाक र योजना कीना की कंडिका क्रमांक ...का क्रमांक .... अंतर्गत त
प्रोत्सासाहन राशि रू. ..../- स्वीवीकृत किया जाता है । यह राशि बजट उपलब्ध ता के अनुसार आपके द्वारा दिये गये बैंक खाताये गये बैंक खाता क्रमांक .... बैंक का नाम .... शाखा .... IFSC Code .... में यथाशीघ्र स्थाानांतरित की त की जायेगी । कृपया प्रोत्सासाहन राशि प्राप्त होते ही प्राप्ति सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(प्रबंध संचालक द्वारा अ नुमोदितत)

संचालक

पृ.क्रमांक........./..../MPTB/Skill/ग्रामस्टे/प्रोत्साहन/न/20.... **भोपाल, दिनांकनांक**

प्रतिल िपि::-

1निज सहायक प्रबंध संचालकक, मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ । ।

2निज सहायक अपर प्रबंध संचालकक, मध्यप्रदेश टूर िज्म बोर्ड, भोपाल को सूचन ार्थ । ।

3उपसंचालक (वित्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त त बजट शीर्ष अंतर्गत प्राप्तत राशि मे से स्वीवीकृतप्रोत्सासाहन राशि इकाई के बैंक खाता क्रमांक इकाई के बैंक खाता क्रमांक ……........... बैंक/या व ित्तीती य संस्थाा का नाम ....शाखा .... IFSC Code ....में अंतरित करत कर संबंधित प्रभाग को विवरण सहित अवगत कराने का कष्टट करें।

4कार्यालय नस्तीती ।

संचालक